रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 2001/अग्रहायण 17, 1923
No. 328] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 2001/AGRAHAYANA 17, 1923

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2001

फा. सं. 9-1/2001/एनसीटीई (प्रशासन).— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, 1993 (1993 का 73वां) की धारा 14 और 15 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र में 11 अगस्त, 2001 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाणपत्र पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्नलिखित अधिसूचनाओं को संशोधित /और आगे संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 बनाती है:-

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 1995

(ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड. डिग्री) या उसके समकक्ष किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण अथवा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 1996

(iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् {आमने सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्नातकोत्तर (एम.एड) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्नातकोत्तर (एम.एड.) के लिए मानक और शर्तें} विनियम 1998

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998

(v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारंभिक शिक्षा स्नातक बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998

संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन

ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 कहलाएंगे।

उपर्युक्त विनियमों में प्रत्येक के सामने दर्शायी गई सीमा तक निम्न जोड़ा जाता है:

क्र. सं.	राजपत्र की अधिसूचना संख्या और तारीख, आदेश संख्या और तारीख	विनियम	मौजूदा प्रावधान	जोड़ा गया पाठ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8, 24.2.96/28-11/95 एनसीटीई दिनांक 29.12.95	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 1995 ।	पैरा 5 (ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 4 के अन्तर्गत	पैरा 5 (च) के बाद निम्न जोड़ा जाए: (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति

			मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने और/अथवा दाखिले में वृद्धि करने के लिए आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी। (झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र उस समय तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य

				सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी। (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा

				कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं-- इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
2.	14, 5.4.97, 28-9/96 एनसीटीई दिनांक 6.2.1997	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम द्वारा अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड. डिग्री) या उसके समकक्ष के लिए किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानो की मान्यता की शर्तों	पैरा 6 (ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना	पैरा 6 (च) के बाद निम्न जोड़ा जाए: (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/

		का निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की अनुमति] विनियम, 1996 ।	होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी। (झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र उस

				समय तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के

				दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं-- इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
3.	7, 13.2.99/28-2/98/ एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998 ।	पैरा 6(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति	पैरा 6(च) के बाद निम्न जोड़ा जाए: (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया

			प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी। (झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र

				द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी। (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50

				(केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं--इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
4.	12, 20.3.99, 28-3/98-99/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.पी.एड.) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.एड.) की मान्यता के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998	पैरा 6(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां	पैरा 6(च) के बाद निम्न जोड़ा जाए: (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन

			संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	पत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी।

				(झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी।

				(ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं--इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
5.	12, 20.3.99, 28-4/98-99/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक-बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998	पैरा 6(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17	पैरा 6(च) के बाद निम्न जोड़ा जाए: (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र

			अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को

				ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी। (झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की

				शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी। (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं--इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

एस. के. राय, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2001/असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2001

No. F. 9-1/2001/NCTE (Admn.).— In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the Section 32 read with Sections 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73, 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001 notified in the Gazette of India on the 11th August 2001, NCTE hereby makes the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001 to amend / further amend the notifications mentioned below :-

(i) The National Council for Teacher Education (application for recognition, manner for submission, the determination of condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.

(ii) The National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.

(iii) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M Ed face to face and M.Ed through distance education) Regulations, 1998.

(iv) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for grant of recognition of teacher education programme in Physical Education – C.P.Ed, B.P.Ed and M.P Ed) Regulations, 1998.

(v) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education – B.El.Ed) Regulations, 1998.

Short Title and Commencement

These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001.

The following additions are made in the above mentioned Regulations to the extent indicated against each of them :-

Sl. No	Gazette Notification No & Date, Order No & Date	Regulations	Existing Provision	Addition made
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8, 24.2.96 / 28-11/95 NCTE dated 29.12.95	The National Council for Teacher Education (application for recognition, manner for submission, the determination of condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.	Para 5 (e) & (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a no objection certificate from the State or Union Territory in which the institution is located (f) Application for permission to start new course or training and / or to increase intake by recognised institutions under Regulation 4 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with no objection certificate from the State or union Territory in which the institution is located.	After para 5 (f) the following shall be added : (g) The endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition (h) If the NOC issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme (i) The NOC issued by the State

				Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it. (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions. (l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.
2.	14, 5.4.97, 28-9/96 NCTE dated 6.2 1997	The National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher	After para 6 (f) the following shall be added : (g) The endorsement of the State Government /

4. In accordance with the procedure prescribed, the proposal was initially forwarded to the Tamil Nadu Electricity Board and Utkal Chamber of Commerce Industry for comments. The comments received are summarised below:

A. **Tamil Nadu Electricity Board (TNEB)**

(i). The operational cost will reduce considerably once the bottom opening railway wagon system becomes operative at the MCHP; and, more coal will be handled through the plant increasing the revenue of the PPT.

(ii). It incurs an extra expenditure towards chartering of the Craned Hopper Self Unloading Vessel (CHSU) and Gearless Vessels for transporting coal in Paradip-Ennore Port sector; and, also, on the conveyor system between the Ennore Port and the North Chennai Thermal Power Station.

(iii). The exact loan amount, the rate of interest thereon and the repayment period including the initial moratorium period are not indicated in the calculation of the tariff. The ADB has funded a soft loan of US$ 134.85 millions at an interest rate of 6.34% only to the port; and hence, the tariff should be worked out based on this rate and not at 19.5%, which is very high considering the present PLR of 12% announced by the Nationalised Banks with effect from March 2001.

(iv). The capacity utilisation shall be as per the designed capacity of the MCHP, as this facility will be utilised by other agencies also; therefore, the tariff needs to be worked out based on the full capacity utilisation instead of 12 million tonnes, which is only 60% of the installed capacity.

(v). The working of depreciation needs to be modified to reflect depreciation at 90% of the value of the plant & machinery (i.e.@ 4.5% per annum) instead of 100% value as the balance 10% value is recovered on scrapping of the plant as scrap value.

(vi). An amount of Rs.7 crores provided towards salary and wages seems to be on the higher side considering the manpower requirements in view of the mechanisation and automation.

(vii). An amount of Rs.17.30 crores towards the O & M expenses appears to be on the higher side and may be restricted to the actuals or certain percentage of the capital cost. The actual percentage in these expenses in the modern ports abroad can be a guide for this.

(viii). A special discount must be allowed to the TNEB for effecting large volumes.

B. **The Utkal Chamber of Commerce and Industry (UCCI)** has not sent any written comments so far.

5.1. On a preliminary scrutiny of the proposal, the PPT was requested to furnish additional information/clarification on various points arising out of its proposal. Some of the important queries raised are summarised below:

(i). To indicate and consider the proportionate amount of working capital; and, management and general overheads allocable to the MCHP in the cost statements to avoid cross-subsidisation.

(ii). The Port could not submit proper cost statements for different activities at the time of last general revision of the tariff (April 2000); and, the Scale of Rates was to be reviewed after a period of one year. The PPT was also to submit the other proposals relating to estate rentals including rentals for properties in operational area, equipment hire charges and charges for the PPL captive berth. The reasons for the PPT not proposing any review of these rates so far.

(iii). To indicate the latest position of the issues dealt with in paragraph 18 (ix) of this Authority's Order dated 10 April 2000 relating to the details of the non-statutory expenses that the TNEB may not have to incur on commissioning of the MCHP; and, in paragraph 18(x) *ibid* relating to the issue of surplus labour.

(iv). The reasons for an upward revision in the estimated power expenses from Rs.1220 lakhs (earlier) to Rs.1620 lakhs now.

(v). To eliminate the effect of double counting of interest on loans reflected once as a separate item of cost and again as a part of the capital employed.

(vi). To clarify the reason for considering maintenance dredging expenditure (which is a vessel-related cost) for fixing cargo handling rate.

(vii). To furnish the cost estimates for the next two years following the year 2001-02.

(viii). To clarify the prorata computation of Railway earnings and expenses, as the figure of traffic adopted for computation for the year 1999-2000 is different from that adopted for Port and Dock Income.

(ix). To indicate reasons for continuance of separate rates for handling of coal at IOHP in terms of paragraph 16 (iii) of the TAMP order dated 10 April 2000.

(x). To assess and indicate the resultant savings to TNEB in the vessel-related port charges as well as the standing cost of the vessel; and, other savings on account of better wagon turnaround and shipment by handling coal through MCHP.

(xi). The basis of arriving at different slabs for fixing the proposed sliding slab rates.

(xii). To explore the possibility of linking the proposed rates with performance; and, formulate a suitable efficiency linked tariff scheme.

(xiii). The reasons for reduction in the traffic forecast of 20 million tonnes for the year 2001-02 at the time of general revision to a present estimate of 12 million tonnes.

5.2. The PPT after the joint hearing in this case, submitted detailed replies to the queries raised by us. The important points made by the PPT are summarised below:

(i). The working capital for the year 1999-2000 becomes a negative figure (because of overdue interest liabilities); and hence, it has been considered as nil. Excluding the figure of overdue interest from the Current Liabilities; and, considering a share of Thermal Coal being 44% in the total cargo, the working capital requirement for the MCHP works out to Rs.15.09 crores.

(ii). The power cost has been taken on the basis of present electricity tariff structure.

(iii). Mechanisation will not reduce the manpower immediately. It may take a long time to effect such reduction. Further, transfer of manpower from existing working areas to the mechanised coal project is not possible.

On the basis of the assessment made by the High Power Committee, 609 cargo handling workers and all the bulk handling (C&F) workers will be rendered surplus after mechanisation of the coal handling plant.

A Voluntary Retirement Scheme (VRS) has been introduced by the PPT as per the directives of the Government; and, a similar scheme has also been introduced by the Management Committee for the C&F workers. Only 32 cargo handling workers and 116 C&F workers have opted for the Scheme. The response of the workers is luke-warm on account of the amount of (inadequate)

			administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme. (i) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions

				(l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up *innovative* teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.
4.	12, 20.3.99, 28-3/98-99/NCTE dated 29 12.98	The National Council for Teacher Education (*norms and* conditions for grant of recognition of teacher education programme in Physical Education – C.P.Ed, B P.Ed and M.P.Ed) Regulations, 1998	Para 6 (e) and (f) (e) Every *institution* intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a 'No Objection Certificate' from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase in intake by recognised *institutions under* Sub Regulation (b) of Regulation 5	After para 6 (f) the following shall be added : (g) The endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) If the NOC issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional

			above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection *Certificate' from* the State or union Territory in which the institution is located.	facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards *applicable* to the relevant teacher training programme. (i) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till *such time the* State Government / UT Administration withdraws / cancels it. (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to *get recognition* within three years from the date of its issue. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions. (l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a

				programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.
5	12. 20.3.99, 28-4/98-99/NCTE / dated 29 12.98	The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education – B El.Ed) Regulations. 1998	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a 'No Objection Certificate' from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located (f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	After para 6 (f) the following shall be added : (g) The endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) If the NOC issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme.

				(i) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it. (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions. (l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.

These amendments shall come into force with immediate effect.

S. K. RAY, Member Secy.

[ADVT III/IV/131/2001/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054